न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

सप्लाई विविध संख्या 20/2022 (2022/165)

प्रार्थी :–

विरमदान चारण प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय द्वितीय जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

कैलाश सैन पुत्र मोहनलाल सैन, जाति सैन, निवासी कुई जोधा, बालेसर हाल बालाजी रेस्टोरेन्ट फलोदी रोड़ फांटा, बालेसर, जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत।

उपस्थिति :–

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– 22.03.2023

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, द्वितीय जोधपुर ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी कैलाश सैन पुत्र मोहनलाल सैन, जाति सैन, निवासी कुई जोधा, बालेसर हाल बालाजी रेस्टोरेन्ट फलोदी रोड़ फांटा, बालेसर, जिला जोधपुर के विरूद्ध पेश करते हुए जाहिर किया कि दिनांक 19.12.2022 को मुखबिर की सूचना पर जिला रसद अधिकारी जोधपुर के निर्देशानुसार घरेलू गैस के व्यवसायिक दुरूपयोग के संबंध में बालेसर स्थित बालाजी रेस्टोरेन्ट के मौका निरीक्षण पर घरेलू गैस सिलेण्डर का रेस्टोरेन्ट पर व्यवसायिक उपयोग होना पाये जाने पर मौके पर ही 2 एचपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किए गये। उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/5 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त गैस सिलेण्डरों को राजसात करने तथा इनका अंतरिम निस्तारण करने की इस्तदुआ की।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी दिनांक 22.03.2023 को न्यायालय में उपस्थित हुए तथा नोटिस अन्तर्गत धारा 6 (बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम का जवाब पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:25 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी ने जवाब पेश कर बतलाया अप्रार्थी का रेस्टोरेन्ट व मकान पास–पास में स्थित है तथा अप्रार्थी का घरेलू गैस का कनेक्शन है इस कारण घरेलू गैस सिलेण्डर की डिलेवरी दुकान पर देकर चला गया। प्रार्थी द्वारा इसका व्यवसायिक दुरूपयोग मानते हुए प्रकरण दर्ज किया गया। अप्रार्थी ने प्रकरण में निर्धारित जुर्माना राशि लेकर अप्रार्थी के जब्त सुदा दो घरेलू गैस सिलेण्डर सुपुर्द करने की इस्तदुआ की।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का रेस्टोरेन्ट पर व्यवसायिक उपयोग होना पाये जाने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4 (a) (b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए व 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा निम्न घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात् (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है।

क्रम संख्या	सिलेण्डर का एस0 आर0 क्रमांक	सरकारी तेल कम्पनी का नाम	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार/टेयर वेट किग्रा में	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल0 पी0 जी0 किग्रा में	शुद्ध गैस का भार किग्रा में
1.	1484127–पी	एच0 पी0	15.7	22.300	6.6
2.	255272–एस	एच0 पी0	15.4	29.4	14

जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उससे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करायी जाये। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश की पालना रिपार्ट एक माह में प्रस्तुत करें।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 22.03.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:33:25 IST
Reason: SelfAttested